अनुसूची 21—फारम सं० 113

1416 1-6-17

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या ..... 19..... आवेदन सं० 4275 ..... 19.....

चूँकि श्री रामसनेही सिंह 31-5-17

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जावे। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2005 ..... 19..... से ता० Still date तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला ..... चला है अतः विमुक्त

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा जमनौत 30	तौजी 3084	खाता 496	प्लाट 2107		46 Decimal		

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): Sadhan

(पदनाम): U.D.C. Abhok

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): Bhandra

(पदनाम):

कार्यालय: दानापुर

तारीख: 9-6-2017

अवर निबंधन कार्यालय

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1-6-17

टिप्पणी:–इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५७ के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमाणियों (इन्डेन्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारो और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक दानापुर

ज्ञाप संख्या 1721 दिनांक 1-6-17

आवेदक श्री [illegible]

का उनके पत्र संख्या ..... दिनांक 30-5-17 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

दानापुर

1-6-17

SPL-469/99-2.00,000